राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2903/2025

रोशन काठात

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.05.2025
आदेश की दिनांक : 02.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुनाल अग्रवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 12.04.2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसे व्याख्याता ग्रेड–ा के पद पर पदोन्नति के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी का खेड़ा, तहसील–भीम, जिला–राजसमंद से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, केलवाड़ा, खुंबलगढ़, जिला राजसमंद में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है। (अनुलग्नक–1) सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2005 के आदेश द्वारा अध्यापक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके तहत उसने दिनांक 12.04.2005 को कार्यभार ग्रहण किया तथा अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात अपीलार्थी को नियमित कर दिया गया। अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अपीलार्थी ने अत्यंत ईमानदारी तथा समर्पण के साथ कार्य किया है। (अनुलग्नक –2 एवं 3) अपीलार्थी व्याख्याता ग्रेड–ा के पद पर पदोन्नति के लिए विचाराधीन था, इसलिए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु उसकी पसंद के बारे में पूछा। अपीलार्थी ने वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु अपना विकल्प प्रपत्र विधिवत भरा, जिसमें उसने उल्लेख किया कि 1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावला का बाडिया, मसौदा, अजमेर, राजस्थान, 2. शहीद राइफलमैन हजारी सिंह राजकीय विद्यालय, अतीतमंड, जिला– ऐमर 3. राजकीय उच्च विद्यालय बिरतिवा खुर्द, रायपुर, जिला पाली, राजस्थान और 50 अन्य विकल्प। (अनुलग्नक–4) उसके बाद निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2025 के तहत व्याख्याता ग्रेड–ा के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों की सूची तथा पदोन्नति के बाद उनके पदस्थापन स्थान जारी

किए। अपीलार्थी का नाम पदोन्नति की उपरोक्त सूची में था, परंतु उसके विकल्प पत्र में भरे गए स्थान के निकट पदस्थापन देने के बजाय व्याख्याता ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति होने पर उसका स्थानांतरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, केलवाड़ा, खुंबलगढ़, जिला राजसमंद में कर दिया गया। पदोन्नति आदेश दिनांक 13.12.2024 के अनुसार अपीलार्थी को पदोन्नति के पश्चात क्रम संख्या 9598 तथा मेरिट संख्या 1649 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी के पिता बीमार हैं और हाल ही में घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हुई है। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को लिखित रूप में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें नई पोस्टिंग के स्थान पर कर्तव्यों के निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में उपरोक्त सभी चिंताओं पर विचार किया गया है। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी ओदश दिनांक 12.04.2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा भरे गए विकल्प के अनुसार निकटतम स्थान पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जावे साथ ही अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष